न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए / 2004 / 1494 / नागौर

पाबूराम पुत्र हजारीराम जाति माली निवासी रियांबड़ी तहसील मेडता जिला नागौरं।
...प्रार्थी

बनाम

1– मदनराम उर्फ मदनलाल पुत्र हजारी राम जाति माली निवासी रियांबड़ी तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2– सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रियांबड़ी तहसील मेडता जिला नागौर।

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–
श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

———

दिनांकः–22–12–2021

निर्णय

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी नागौर केम्प मेडता द्वारा अपील संख्या 66 / 2003 में पारित आदेश दिनांक 29–3–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 / वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय सहायक कलक्टर मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19–3–1987 को प्राथमिक डिक्री पारित की तथा दिनांक 10–5–2000 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–4–2001 को अप्रार्थी मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा बहस सुनी जाकर दिनांक 10–9–2003 को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 29–3–2004 से स्वीकार कर लिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4— अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—9—2003 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका यह भी कथन था कि वादी/अप्रार्थी संख्या 1 का वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं था जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञ जारी किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से उत्पन्न अपील में इस प्रकार का कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था जिससे कि वाद संख्या 229/78 में पारित अंतिम डिक्री अप्रभावी हो जाय व उसकी कार्यवाही रूक जावे। अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करना चाहिए था। उनका यह भी कथन है कि राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेडता के निर्णय दिनांक 10—9—2003 में बिना दोष निकाले ही आदेश अन्तर्गत निगरानी पारित किया है साथ ही राजस्व अपील अधिकारी को अपने कारण रहित आदेश के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के विवेकयुक्त आदेश उलटने का अधिकार नहीं है। अंत में अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4— अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रत्युत्तर में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत आदेश है। अंत में वकील अप्रार्थी ने निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5— हमनें पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6— प्रथम दृष्टया प्रकरण के लिए खसरा नम्बर 1071 मिन में स्थित कुंआ व बिजली का कमरा मय बिजली कनेक्शन तथा अन्य सामान अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के शामलाती होना मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से साफ साबित होता है तथा अप्रार्थी ने एक प्रमाण पत्र सहायक अभियान्ता (ओ एण्ड एम) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रियांबड़ी का इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान के शामलाती कुंए पर बिजली कनेक्शन दिनांक 19—12—1975 का लिया हुआ है। इस प्रमाण पत्र को देखने से ऐसा मालूम होता है कि पक्षकारान के बीच बंटवाड़ा का वाद पेश करने से पहले से ही विवादित बेरा मौजूदा था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में है। दूसरा बिन्दु सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि बेरा,

बिजली का कनेक्शन व बिजली का कमरा व सामान का जो भी खर्चा लगा है वो पक्षकारान का शामलाती लगा है। अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी अनपढ़ है व प्रार्थी का छोटा भाई जिसने बंटवाड़ा के दावा में बेरा व बिजली कनेक्शन का भी उल्लेख नहीं किया है। अब प्रार्थी कुंआ, बिजली कनेक्शन, बिजली का कमरा व सामान अकेला ही रखना चाहता है जिससे अप्रार्थी को अपार क्षति होगी। अप्रार्थी का यह भी तर्क है कि खसरा सख्या 1062 रकबा 1 बीघा जमीन अप्रार्थी के बंट में रखी है। कुंए के इस जमीन तक तीन हजार फुट लम्बाई में पाइप लाईन डाली हुई है। अगर कुंआ शामलाती नहीं होता तो यह पाइप लाईन डाली जाती। वकील अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र सम्पतराज व तेजाराम के पेश कर अप्रार्थी के कथन को सच्चा बताया। मेरे विचार से अप्रार्थी का कथन सही प्रतीत होता है तथा बिजली के शामलाती कनेक्शन व कुंए पर पक्षकारान के नाम सीमेन्ट के फर्मो पर लिखा होना यह प्रमाणित करता है कि अप्रार्थी का कुंए पर मालिकाना हक व बिजली का कनेक्शन शामलाती होना रेकार्ड के हिसाब से सही है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में है इसलिए अपील अपीलार्थी/अप्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि मूल वाद के निर्णय तक अपीलार्थी के पक्ष में व प्रत्यर्थी/प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार की जारी की जाती है कि मौका कमिश्नर की मौका रिपोर्ट दिनांक 29–4–2001 के अनुसार यथास्थिति कायम रखे तथा बिजली का कनेक्शन से भी अपीलार्थी/अप्रार्थी का नाम नहीं हटाया जावे व शामलाती सामान जिसका विवरण ऊपर दिया गया है को खुर्द बुर्द नहीं करे।

7– इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध से संबंधित पक्षकारान के मध्य परीक्षण न्यायालय में अभी भी मूल वाद विचाराधीन चल रहा है इस स्थिति में इस प्रकरण में वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े और अधिक विधिक जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो इस हेतु स्थगन आदेश व यथास्थिति कायम रखे जाना आवश्यक व न्यायोचित सिद्ध होता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 29–3–2004 में हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाते है जिसके कारण उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य